



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डब्लू.बी.-अ.-09072026-274321  
CG-WB-E-09072026-274321

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3533]

नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 8, 2026/आषाढ 17, 1948

No. 3533]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 8, 2026/ASHADHA 17, 1948

रेल मंत्रालय

[दक्षिण पूर्व रेलवे (निर्माण संगठन)]

अधिसूचना

कोलकाता, 7 जुलाई, 2026

का.आ. 3695(अ).— केन्द्रीय सरकार, रेलवे अधिनियम, 1989 (1989 का 24) [रेलवे (संशोधन) अधिनियम, 2008 के अनुसार संशोधित] की धारा 2 के खंड (7 क) और धारा 20 छ की उपधारा (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से, नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ (2) में यथा उल्लिखित विशेष रेल परियोजना अर्थात् ओडिशा राज्य के स्तम्भ (3) में उल्लिखित जिलों में "पूर्व में दानकुनी को पश्चिम में सूरत से जोड़ने वाला नया समर्पित मालवाहक गलियारा" के संबंध में सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि अधिग्रहण हेतु स्तम्भ (4) में उल्लिखित अधिकारियों को उक्त अधिनियम के अधीन से प्राधिकारी के रूप में कृत्य का निष्पादन करने के लिए सक्षम प्राधिकारी और स्तम्भ (5) में उल्लिखित अधिकारियों को उक्त अधिनियम के अधीन से प्राधिकारी के रूप में कृत्य का निष्पादन करने के लिए पंचाटकर्ता/ मध्यस्थ (Arbitrator) के रूप में प्राधिकृत करती है।

## सारणी

क्रम सं.	परियोजना का नाम	जिला	सक्षम प्राधिकारी भूमि अधिग्रहण	पंचाटकता/ मध्यस्थ (Arbitrator)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	पूर्व में दानकुनी को पश्चिम में सूरत से जोड़ने वाला नया समर्पित	झारसुगुडा	विशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारी, झारसुगुडा	कलेक्टर और ज़िला दण्डाधिकारी, झारसुगुडा
2.	मालवाहक गलियारा	सुंदरगढ़	भूमि अधिग्रहण अधिकारी, कलेक्ट्रेट, सुंदरगढ़	कलेक्टर और ज़िला दण्डाधिकारी, सुंदरगढ़
3.		संबलपुर	विशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारी, कलेक्ट्रेट, संबलपुर	ज़िला दण्डाधिकारी और कलेक्टर, संबलपुर

[फा. सं. दपूरे/निर्माण-संगठन/मुख्यालय/भूमि/पूर्व-पश्चिम कॉरिडोर/डीएफसीसीआईएल(ओडिशा)/एसआरपी/2]  
हरि प्रकाश त्रिपाठी, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (निर्माण)

## MINISTRY OF RAILWAYS

[South Eastern Railway (Construction Organization)]

## NOTIFICATION

Kolkata, the 7th July, 2026

**S.O. 3695(E).**— In exercise of the powers conferred by clause (7A) of section 2 and Sub-Section (6) of Section 20F of the Railways Act, 1989 (24 of 1989) [as amended vide the Railways (Amendment) Act, 2008], the Central Government hereby authorizes the officers mentioned in column (4) of the Table below as **Competent Authority** to perform the functions as such authority and in column (5) of the Table below as **Arbitrator** to perform the functions as such authority under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette with respect to land acquisition for the Special Railway Project namely, “**New Dedicated freight Corridor connecting Dankuni in the east to Surat in the west**” in the State of West Bengal relating to the districts mentioned in column (3) of the said Table for the public purpose.

## TABLE

Sl. No.	Name of the Project	District	Competent Authority Land Acquisition	Arbitrator
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	New Dedicated Freight Corridor connecting Dankuni in the East and Surat in the West.	Jharsuguda	Special Land Acquisition Officer, Jharsuguda	Collector & District Magistrate, Jharsuguda
2.		Sundargarh	Land Acquisition Officer, Collectorate, Sundargarh	Collector & District Magistrate, Sundargarh
3.		Sambalpur	Special Land Acquisition Officer, Collectorate, Sambalpur	District Magistrate & Collector, Sambalpur

[F. No. SER/CON-Orgn./HQ/Land/East-West Corridor/DFCCIL (OD)/SRP/2]

HARI PRAKASH TRIPATHI, Chief Admin. Officer(Con)